

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुरेश कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 53/2021 राजस्व अपील

1. मदनलाल पुत्र नारायण
2. रामोतार पुत्र गणपत
समस्त जाति ब्राह्मण निवासी गीजगढ तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सिकराय जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

(अपील विरुद्ध निर्णय नायब तहसीलदार सिकराय दिनांक 9.3.2021 मुकदमा
उनवानी सरकार बनाम मदनलाल, रामोतार मुकदमा संख्या 26/2021 धारा 91
एल. आर. एक्ट पर पारित किया गया है।

उपस्थिति : श्री विनोद कुमार विजय, अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
: श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

:- निर्णय :-

दिनांक: 14.06.2023

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट के खिलाफ पटवारी हल्का ने एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि अपीलान्ट ने खसरा नम्बर 761 ग्राम गीजगढ के एक एयर रकबे पर थडी अस्थाई त्रिपाल तानकर अतिक्रमण कर लिया है। जिस पर अपीलान्ट को नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना व पटवारी हल्का से जिरह का मौका दिये बिना व मौके पर नाप करवाये बिना दिनांक 9.3.2021 को अपीलान्ट को उक्त रकबे से बेदखल करने एवं पेनल्टी से दण्डित करने के आदेश फरमा दिया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय के उक्त आदेश दिनांक 9.3.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरुद्ध एवं प्रक्रिया नियमों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना एवं अपीलान्ट को पटवारी हल्का से जिरह का मौका दिये बिना उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है। अपीलान्ट की थडी 50 वर्षों से रखी हुई है। अपीलान्ट की थडी के सीध में आर-पार कच्ची निर्माणात हो रहे हैं। रास्ते में कोई बाधा नहीं है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार सिकराय के निर्णय दिनांक 9.3.2021 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।



राजस्व अपील संख्या: 53/2021

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्त ने ग्राम गीजगढ तहसील सिकराय की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 761 रकबा एक एयर भूमि पर थडी लगाकर अतिक्रमण कर लिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किये जाने के कारण अपीलान्त अतिक्रमी के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्त अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 9.3.2021 को बेदखल कर पेनल्टी की सजा से दण्डित किया गया है।

हमने बहस अधिवक्तागण उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख में उपलब्ध पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त के विरुद्ध भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर उक्त प्रश्नगत निर्णय दिनांक 9.3.2021 पारित किया है। अपीलान्त अतिक्रमी द्वारा ग्राम गीजगढ तहसील सिकराय स्थित भूमि खसरा नंबर 761 रकबा एक एयर भूमि पर थडी लगाकर अतिक्रमण कर रखा है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्त स्वीकार किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त खारिज जाती है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ट लेख भण्डार की जावे।



(सुरेश कुमार)

अति. जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 14.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुरेश कुमार)

अति. जिला कलक्टर ,दौसा